भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर‍ शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्या : 1140

उत्तर देने की तारीख : 16 दिसम्‍बर, 2013

**चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए सलाहकार समिति**

**1140. श्री एन॰ के॰ सिंहः**

**डा॰ जनार्दन वाघमरेः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए हाल ही में एक सलाहकार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सलाहकार समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जाने माने शिक्षाविदों ने इस कार्यक्रम के संचालन का पुरजोर विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री**

**(डा. शशि थरूर)**

**(क) :** जी, हां।

**(ख) :** जी, नहीं।

**(ग) :** उपर्युक्‍त (ख) के दृष्टिगत प्रश्‍न नहीं उठता।

**(घ) और (ड.) :** कुछ शिक्षाविदों ने दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे चार वर्षीय स्‍नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) के कार्यान्‍वयन का विरोध किया है। दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय, दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय अधिनियम द्वारा स्‍थापित एक सांविधिक स्‍वायत्‍त निकाय है और यह इसके तहत बनाए गए अधिनियमों और सांविधियों तथा अध्‍यादेशों द्वारा शासित होता है। विश्‍वविद्यालय अपने अनुदेशों, शिक्षा और परीक्षा के मापदंडों को अपनी क्षमता के तहत बनाए रखता है।

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), जो उच्‍चतर शिक्षा के मापदंडों को संयोजित, निर्धारित और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ने दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय के एफवाईयूपी के कार्यान्‍वयन की प्रगति को मॉनीटर करने, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक और मूल्‍यांकन प्रणाली से संबंधित मामलों में परामर्श प्रदान करने, दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय में स्‍नातकोत्‍तर डिग्री कार्यक्रमों के लिए एफवाईयूपी के निहितार्थों का मूल्‍यांकन करने के लिए और यूजीसी को उपयुक्‍त सिफारिश भेजने के लिए एक परामर्शी समिति गठित की है।

\*\*\*\*\*